



प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/401

दिनांक: -26/06/2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (12) कम्पनियों का नाम **पश्चिम बंगाल** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AA7754657	U86100WB2023PTC266483	वेलकेयर मेडिकलिनिक हब प्राइवेट लिमिटेड
2	AA8444030	U45102WB2023PTC260195	सुरभयाई ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
3	AA8295981	U72200WB2022PTC253969	डिजीपल्प टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
4	AA8426637	U67110WB2022PTC251039	एसएसडी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
5	AA8234559	U65999WB2021PLN250278	आरडीबीआई म्युचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड
6	AA8454324	U10300WB2020PTC238143	एम ए माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
7	AA8579557	U97000WB2015PTC206176	एडेनसिटी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
8	AA8519405	U70109WB2012PTC172224	ट्राइन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
9	AA8356081	U24301WB2011PTC167646	ईस्टर्न कार्बन एक्विजिशन प्राइवेट लिमिटेड
10	AA8461143	U72200WB2010PTC155623	फ्रीडम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
11	AA8608444	U74140WB2010PTC151150	एसबीएसस्पेक्ट्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AA8444919	U51909WB2008PTC127462	एनकोर मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

CBC 07123/11/0226/2425